रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112023-249940
CG-DL-E-07112023-249940

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2023/कार्तिक 16, 1945
No. 644]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2023/KARTIKA 16, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 824(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (चौथा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में नियम 43क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

'43क. हाइब्रिड वर्किंग (1) कोई इकाई, इस नियम के अनुसार उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अपने कर्मचारियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार, विशेष आर्थिक जोन के बाहर किसी भी स्थान से कार्य करने की अनुमति दे सकेगी।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत निम्नलिखित कर्मचारी आते हैं, -

(i) सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं प्रदान करने वाली इकाईयों के कर्मचारी ;

(ii) कर्मचारी, जो अस्थायी रूप से असमर्थ हैं;

(iii) कर्मचारी, जो यात्रा कर रहे हैं; और

(iv) कर्मचारी, जो ऑफसाइट कार्य कर रहे हैं।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा 31 दिसंबर, 2024 तक लागू रहेगी।

(4) हाइब्रिड कार्य की सुविधा में इकाई के सभी कर्मचारियों को शामिल किया जा सकता है।

(5) जहां कोई इकाई इस नियम के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों को हाइब्रिड कार्य की अनुमति देती है, वह हाइब्रिड कार्य की सुविधा की अनुमति देने की तारीख को या उससे पहले विकास आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से इसकी सूचना देगी।

(6) इकाई को उन कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी जिन्हें हाइब्रिड कार्य की अनुमति दी गई है, लेकिन उन कर्मचारियों की सूची अनुरक्षित रखेगी जिन्हें इकाई में हाइब्रिड कार्य करने की अनुमति दी गई है और जब भी विकास आयुक्त द्वारा आवश्यक हो, इसे सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) यदि इकाई अपने अनुमोदन पत्र के अनुसार परिसर से काम करना जारी रखती है तभी हाइब्रिड कार्य सुविधा स्वीकार्य होगी।

(8) इस नियम के अन्तर्गत हाइब्रिड कार्य हेतु अनुज्ञा प्रदान किए गए कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला कार्य इकाई के लिए अनुमोदित सेवाओं के अनुसार होगा, तथा कार्य इकाई की परियोजना से संबंधित होगा।

(9) वह इकाई, जिसके द्वारा कर्मचारी को हाइब्रिड कार्य के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, उसके परिणामी उत्पादों या सेवाओं के निर्यात राजस्व का हिस्सा सुनिश्चित करेगी ।

(10) यदि कोई कर्मचारी इकाई की परियोजना का हिस्सा नहीं रह जाता है, तो उस कर्मचारी को इकाई से अवमुक्त कर दिया जाएगा और इकाई नियम 70 के उप-नियम (2) के उपबंधो के अनुसार उसका पहचान पत्र अभ्यर्पित करेगी।

(11) इकाई कर्मचारी को हाइब्रिड कार्य के लिए आवश्यक लैपटॉप, डेस्कटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित शुल्क मुक्त सामान प्रदान करेगी और उन्हें अस्थायी आधार पर शुल्क या एकीकृत माल और सेवा कर के भुगतान के बिना विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी:

परन्तु इकाइयां हाइब्रिड कार्य सुविधा का विकल्प देते समय यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे शुल्क मुक्त वस्तुओं को मौजूदा नियमों के अनुसार उचित रिकॉर्ड में रखा गया है और आवश्यक हो तो सत्यापन के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

(12) नियम 50 के उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे शुल्क मुक्त वस्तुओं को अस्थायी रूप से हटाने की अनुमति हाइब्रिड कार्य की सुविधा की वैधता के अनुरूप अवधि के लिए दी जाएगी:

परन्तु यदि कोई इकाई इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर शुल्क मुक्त वस्तुओं को विशेष आर्थिक क्षेत्र में वापस लाने में विफल रहती है, तो ऐसी वस्तुओं पर लागू शुल्क का भुगतान इकाई द्वारा किया जाएगा।

(13) इस नियम में,

(क) "कर्मचारी" अभिव्यक्ति में वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे, जो इकाई के रोल में नियोजित या सीधी संविदा के अधीन हैं अथवा किसी अन्य संगठन के साथ संविदा के अंतर्गत इकाई जिनकी मुख्य नियोक्ता है, जहाँ ऐसे व्यक्तियों से किसी इकाई को काम करने के लिए दैनिक आधार पर रिपोर्ट करने की उम्मीद की जाती है और इकाई अपनी उपस्थिति पत्रक में उन पर नियंत्रण रखती है ।

(ख) अभिव्यक्ति हाइब्रिड वर्किंग एक लचीले कार्य मॉडल को संदर्भित करती है जिससे द्वारा कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को समय-समय पर कार्यालय से या नियोक्ता के कार्यालय के बाहर किसी भी स्थान से काम करने की अनुमति दे सकेगा;

[फा. सं. के-43013(12)/1/2021-एसईजेड]

एल. सत्या श्रीनिवास, अतिरिक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 481 (अ) तारीख 4 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2023

G.S.R. 824(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. Short Title and Commencement

(1) These rules may be called the Special Economic Zones (Fourth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, for rule 43A, the following rule shall be substituted, namely : -

'43A. Hybrid working.- (1) A Unit may, as per its requirements, permit its employees, specified in sub-rule (2), to work from any place outside the Special Economic Zone in accordance with this rule.

(2) The following employees are covered under sub-rule (1), -

(i) employees of Information Technology Units and Information Technology enabled services;

(ii) employees, who are temporarily incapacitated;

(iii) employees, who are travelling; and

(iv) employees, who are working offsite.

(3) The permission granted under sub-rule (1) shall be applicable up to the 31st December, 2024.

(4) The facility for hybrid work may cover all the employees of the Unit.

(5) Where a Unit permits its employees for hybrid work under this rule, it shall intimate the same to the Development Commissioner through an e-mail on or before the date on which the facility for hybrid work is permitted.

(6) The Unit shall not be required to submit the lists of employees who are allowed hybrid work but shall maintain the lists of employees who have been permitted hybrid work in the Unit and it shall be submitted for verification whenever is required by the Development Commissioner.

(7) The hybrid work facility shall be admissible if the Unit continues to operate from the premises as per their letter of approval.

(8) The work to be performed by the employee permitted hybrid work under this rule shall be as per the services approved for the Unit, and the work is related to a project of the Unit.

(9) The Unit shall ensure export revenue of the resultant products or services to be accounted for by the Unit to which the employee is permitted for hybrid work.

(10) Where an employee ceases to be part of the project of the Unit, the employee shall be relived from the Unit and the Unit shall surrender the identity card as per the provisions of sub-rule (2) of rule 70.

(11) The Unit may provide to an employee duty-free goods, including laptop, desktop, and other electronic equipment needed by the employee for hybrid work and the same shall be allowed to be taken outside the Special Economic Zone without payment of duty or integrated goods and services tax on temporary basis:

Provided that the Units while opting for hybrid work facility shall ensure that such duty-free goods are duly accounted for in the appropriate records as per the extant rules and are available for verification, if necessary.

(12) Notwithstanding anything in sub-rule (1) of rule 50, the temporary removal of such duty-free goods shall be allowed for a period commensurate with the validity of the facility for hybrid work:

Provided that if a Unit fails to bring back the duty-free goods into the Special Economic Zone within the period specified in this sub-rule, the duty applicable on such goods shall be paid by the Unit.

(13) In this rule, -

(a) the expression “employees” shall include all persons employed on the rolls of the Unit or under a direct contract or where the Unit is the principal employer under a contract with another organisation where such persons are expected to report on a day-to-day basis for work to the Unit and the Unit administers the control on their attendance;

(b) the expression "Hybrid working" refers to a flexible work model whereby an employer may permit its employees to work from office or from any location outside the employer's office from time to time.’.

[F. No. K-43013(12)/1/2021-SEZ]

L. SATYA SRINIVAS, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended *vide* notification number G.S.R 481 (E) dated the 4th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.07 21:31:46 +05'30'